एकल नारी की आवाज

अंक : 41 , माह : जुलाई, वर्ष : 2016, निजी प्रसार हेतु

राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम, 2015 एवं 2016

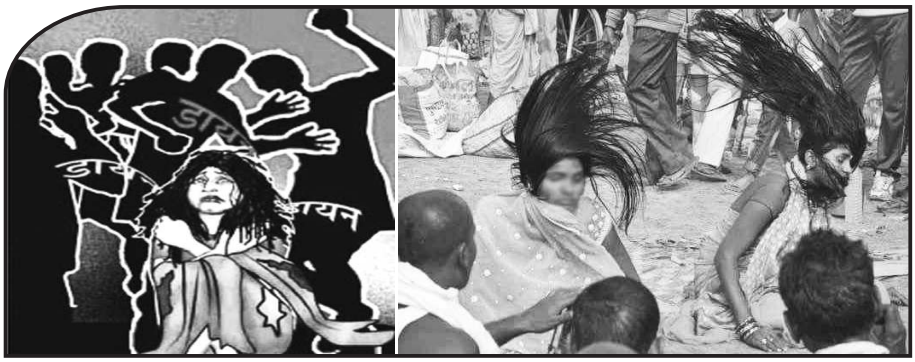

(एक संक्षिप्त परिचय)

राजस्थान सरकार ने डायन प्रताड़ना की रोकथाम और पीड़ित महिला के राहत और पुर्नवास के लिए राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम को 24 अप्रेल, 2015 को पारित कर 17 अगस्त, 2015 और उससे जुड़े नियम 26 जनवरी, 2016 को लागू किये गये।

सदियों से चली आ रही डायन प्रथा-महिला हिंसा संसाधन/ संपत्ति पर कब्जा और अंधविश्वास से जुड़ी हुई है। डायन, डाकन या डाकिन कहकर किसी महिला को शारीरिक, मानसिक एवं अन्य घिनौने तरीकों से प्रताड़ित किया जाता है तथा उसका सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार किया जाता है। इसके चलते महिला एवं उसका पूरा परिवार खतरे में आ जाता है, जिसके कारण अकसर उसे घर और गांव से निकाल दिया जाता है। इस प्रथा और इससे जुड़े अपराधों पर कानून बनाकर महिलाओं की सुरक्षा और अधिकार सुनिश्चित करने की ओर यह राजस्थान सरकार का एक उत्कृष्ट एवं सराहनीय प्रयास है।

☐ कानून के तीन मुख्य पहलू हैं :-

1. अपराधों का निवारण और सजा
2. पीड़ित महिला को राहत और पुनर्वास
3. डायन प्रथा पर जागरूकता और रोकथाम

1. अपराधों का निवारण और सजा :-

▸ डायन कहकर प्रताडित करना :-

● किसी महिला को डायन घोषित कर उसको बदनाम और प्रताड़ित कर किसी तरह का नुकसान पहुंचाना अपराध है जिसके लिए 1 से 5 वर्ष तक के कठोर कारावास की सजा या कम से कम रूपये 50,000 तक का जुर्माना अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

● किसी महिला को डायन घोषित कर मैला खिलाने/पिलाने या नंगा कर घुमाने या मुंह या शरीर पर कालिख पोतने या उसके घर अथवा संपत्ति पर कब्जा कर प्रताड़ित करने के लिए 3 से 7 वर्ष तक के कठोर कारावास तक की सजा या कम से कम रूपये 50,000 तक जुर्माना अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

● अगर हिंसा या प्रताड़ना के कारण महिला की मृत्यु हो जाये तो उसके लिए 7 वर्ष से आजीवन कठोर कारावास तक की सजा या रूपये 1,00,000 तक का जुर्माना अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

▸ झाड़-फूंक/तंत्र-मंत्र/जादू-टोना/टोना-टोटका :-

अगर कोई व्यक्ति ऐसा करके किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान या चोट पहुंचाता है तो उसे 1 से 3 वर्ष तक की कारावास की सजा या रूपये 10,000 तक का जुर्माना अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

▸ डायन का इलाज करने का दावा करना, इलाज करना या इलाज करवाना :-

● अगर कोई ओझा, गुनिया, तांत्रिक या कोई अन्य व्यक्ति इलाज करने का दावा करता है तो वह 1 से 3 वर्ष तक के कठोर कारावास की सजा या कम से कम रूपये 10,000 तक जुर्माना अथवा दोनों दण्डनीय होगा।

● अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री को बुरी आत्मा से मुक्त करने के तात्पर्य से अनुष्ठान करता है तो वह 3 वर्ष से 7 वर्ष तक कठोर कारावास या कम से कम रूपये 50,000 तक का जुर्माना अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

● अगर कोई व्यक्ति उससे ऐसा इलाज करवाता है तो उसे 3 से 7 वर्ष तक के कठोर कारावास की सजा या कम से कम रूपये 50,000 तक जुर्माना अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

▸ सामूहिक जुर्माना :-

डायन प्रताड़ना का मामला होने पर स्थानीय लोगों की भागीदारी की जांच होगी। स्थानीय लोगों की भागीदारी जैसे कि-अपराध करने को उकसाने,

-शेष पृष्ठ...3 पर

हम अपना अधिकार जानते...नहीं किसी से भीख मांगते

संगठन के प्रतिनिधी मण्डल ने रखी अपनी समस्याऐं

एकल नारी शक्ति संस्थान/संगठन राज्य के 33 जिलों के 125 ब्लॉकों में विधवा, एकल, परित्यकता व तलाकशुदा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहा है साथ ही उनके गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने के अधिकार, एकल महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं शैक्षणिक स्थिति को मजबूत करने के लिए समय-समय पर अपनी समस्याओं को निकाल कर प्रशासन को अवगत करवाया जाता है। इसी क्रम में संगठन के प्रतिनिधि मण्डल में कमल पथिक झालावाड़ जिले से, मानकुंवर कोटा से, निरूपा करौली, फूलवती भरतपुर से,पुष्पा कुंवर चित्तौड़गढ़ से, लक्ष्मी व तारा डूंगरपुर से, कचरी बांसवाड़ा से, पवन उद्यानी उदयपुर से दिनांक 24 मई, 2016 को जयपुर में शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री व सचिव, ग्रामीण पंचायती राज मंत्री व सचिव, मुख्य सचिव, केबिनेट मंत्री से प्रतिनिधि मण्डल मिला और एकल महिलाओं से जुड़ी मुख्य समस्याऐं रखी गई **जो निम्न प्रकार से है :-**

सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री को एकल बहनों की समस्याओं से अवगत करवाती सदस्य

1. गरीब एकल महिलाओं के बच्चों के लिए बाहरवीं कक्षा के उपरान्त उच्च शिक्षा में मदद हेतु छात्रवृत्ति/फैलोशिप का प्रावधान किया जाये, जैसा प्रावधान अल्प संख्यक, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के युवाओं के लिए रखा गया है।
2. जिस घर मे गरीब एकल महिला मुखिया है उनको शौचालय निर्माण हेतू राशि एडवांस दी जाये, या सरकार टेन्डर देकर स्वंय शौचालय निर्माण करवाये।
3. विधवा महिलाओं की पुत्री के विवाह पर समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि 10,000 रू से बढ़ाकर 20,000 रू की जाये। विधवाओं के साथ परित्यकता एवं

-शेष पृष्ठ...3 पर

''हम भारत की नारी हैं फूल नहीं चिंगारी है''

संगठन की सदस्य हूँ, थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाना जानती हूँ–सुरजा बाई

सुरजा देवी एकल नारी शक्ति संगठन की ब्लॉक कमेटी सदस्य है। सुरजा देवी के पति का नाम भैरू लाल जाट है एवं सुरजा देवी गांव सिरोही, पंचायत सिरोही, ब्लॉक निवाई, जिला टोंक की रहने वाली है। सुरजा देवी के आदमी की मृत्यु करीब 18 वर्ष पहले हो चुकी थी। पति की मृत्यु के समय उसके बेटे की उम्र लगभग 2 साल थी। अब परिवार की सारी जिम्मेदारी सुरजा देवी के कन्धों पर आ गई थी। लेकिन सुरजा बाई ने हार नहीं मानी। उसने परेशानीयों को झेलते हुए, गांव वालों के तानों के बावजूद मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को लिखाया-पढ़ाया और बढ़ा किया। लड़का बड़ा हुआ और नौकरी करने के लिए जयपुर चला गया।

एक दिन दिनांक 11 मार्च, 2016 को सुरजा देवी का बेटा जयपुर से अपने गांव सिरोही आया। रास्ते में चौराहे पर गांव के तीन लड़के बेठे हुए ताश खेल रहे थे। उन तीनों लड़कों ने सुरजा देवी के लड़के को ताश खेलने के लिए कहा। लेकिन सुरजा के बेटे ने कहा कि मैं ताश नहीं खेलता मुझे घर जाना है। इस पर उन लड़कों ने उससे ताश खेलने के लिए जबरदस्ती की और ताने देने लगे। बात बढ़ने पर तीनों लड़कों ने मिलकर सुरजा देवी के लड़के को खूब मारा और उसके पैसे छीन कर भाग गये। सुरजा देवी के लड़के को काफी चौटें आई। लड़का घर नहीं पहुंचा और बिना किसी को बताये वापस चला गया। सुरजा देवी उस समय घर पर नहीं थी। गांव के लोगों ने उसको मारपीट की बात बताई। जब सुरजा देवी जब वह घर पर पहुंची तो वहां कोई नहीं मिला।

वह घबरा गई कि पता नहीं बिना बताये कहां चला गया। सुरजा बाई ने गांव में भी लड़के को ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। फिर उसने संगठन की जिला स्तरीय कमेटी सदस्य पुष्पा जी को फोन किया और संगठन कार्यकर्ता शकुन्तला बाई को भी बताया। इस पर शकुन्तला बाई सुरजा बाई के गांव में आई और सारी बात सुनी। जब सुरजा बाई और शकुन्तला जी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने जाने लगी तब उन तीनों लड़कों के पिताजी व रिस्तेदार वहां आये और माफी मांगने लगे। तब शकुन्तला जी ने उनको समझाया कि तुम्हारे बेटों ने सुरजा देवी के बेटों को मारा है और वो बिना बताये कहीं चला गया है। यदि वो कुछ कर लेगा तो सुरजा बाई किसके सहारे जीऐगी। इस पर उन्होंने कहा कि थोड़ा इंतजार करलो अगर इसका लड़का यहां आयेगा तो हम उससे भी माफी मांगेंगे। फिर शकुन्तला जी ने शाम तक का समय दिया और सुरजा देवी से कहा कि शाम तक लड़का नहीं आये तो इनकी रिपोर्ट दर्ज करवा देना। शाम को सुरजा देवी का बेटा वहीं घर पर आ गया। फिर तीनों लड़कों ने उससे माफी मांगी और उसके पैसे भी वापस कर दिये और। इस पर सुरजा बाई ने उनसे कहा कि मैं संगठन की सदस्य हूँ, थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाना जानती हूँ। यदि आगे से तुमने मेरे बेटे से लड़ाई झगड़ा किया तो तुम्हारी रिपोर्ट दर्ज करवा कर तुम्हें बंद करवा दूंगी। इस पर उन तीनों लड़कों ने कहा कि हम आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे।

संगठन के प्रचलित नारे

एकल नारी शक्ति संगठन,
जिन्दाबाद! जिन्दाबाद!

हम भारत की नारी हैं,
फूल नहीं चिंगारी हैं।

हम अपना अधिकार जानते,
नहीं किसी से भीख मांगते।

सार्वजनिक कार्यक्रमों के बारे में जानकारी लेने अथवा समस्या दर्ज कराने के लिए फोन नम्बर

टोल फ्री नम्बर

क्र.सं.	विभाग/सेवा का नाम	संपर्क नम्बर
1.	संपर्क समाधान	18001806127
2.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	18004196655
3.	इमरजेंसी एम्बुलेंस	108
4.	प्रसूति के लिए एम्बूलेंस एवं स्वास्थ्य संबंधी	104
5.	पीने का पानी	18001806088
6.	खाद्ध सुरक्षा योजना	18001806030
7.	महात्मा गांधी नरेगा	18001806606
8.	बिजली कनेक्शन	18001806045
9.	खेती संबन्धित	18001801551
10.	अनुसूचित जाति एवं जनजाति	18001806025
11.	महिला हेल्प लाईन	18001806718
12.	चाइल्ड हैल्प लाईन	1098
13.	श्रमिक हेल्प लाईन	18001800999

शुल्क सहित नम्बर

क्र.सं.	विभाग/सेवा का नाम	संपर्क नम्बर
14.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पालनहार, छात्रवृत्ति	0141-5111010, 2226618
15.	सुगम समाधान	0141-2227549
16	विकलांग से संबंधित जानकारी	09415578606
17	स्कूल में दोपहर के भोजन से संबंधित	0141-221694
18	बैंकिंग लोकपाल	0141-5107971
19	सूचना का अधिकार	0141-2742408
20.	राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग	0141-2713602, 2708990

तुलसी देवी के बेटे को मिली पढ़ाई हेतु आर्थिक मदद

एकल महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए डॉक्टर पवित्र मोहन ने अपनी पूजनीय माताजी की स्मृति में एकल व परित्यकता महिलाओं की क्षमतावार्धन हेतु आर्थिक मदद देने के लिए एकल महिला सशक्तिकरण कार्यकम **शुरू किया। इस हेतु** फरवरी 2009 से विविधा महिला आलेखन एवं संदर्भ केन्द्र की स्थापना की।

एकल महिला को स्वयं के रोजगार, स्वयं की शिक्षा व उनके बच्चों की शिक्षा के लिए आर्थिक सहयोग दिया जाता है। यह राशि लोन या अनुदान के रूप में हो सकती है। कोई भी एकल या परित्यकता महिला अपनी अर्जी आर्थिक मदद के लिए भेज सकती है। इसी क्रम में एकल नारी शक्ति संगठन की तुलसी देवी पत्नि राम चन्द्र जाति कडवासर (विश्नोई) निवासी 32-एम.एल. ग्राम छोटावाली, पंचायत समिति- रायसिंह नगर, जिला गंगानगर को संगठन के माध्यम से विविधा संस्थान द्वारा उसके बेटे की बी.एड. शिक्षा की पढ़ाई लिए 10,000 की आर्थिक सहायता राशि दी गई। इसके लिए विविधा संस्थान को भिजवाये गये समस्त आवश्यक दस्तावेज की तुलसी देवी से संपर्क कर पूरी जानकारी लेकर 10,000 रूपये की आर्थिक सहायता राशि तुलसी देवी को दी गई। इसके लिए तुलसी देवी समस्त एकल नारी शक्ति संगठन व विविधा संस्थान, जयपुर को धन्यवाद दिया।

विविधा संस्थान का पता है :-
विविधा, 335, महावीर नगर द्वितीय, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर,
फोन : 0141-2762932
अर्जी में अपना पूरा नाम, अपने परिवार की पूरी जानकारी, पता व संपर्क नम्बर जरूर लिखें।

1 जून महिला सशक्तिकरण दिवस धूमधाम से मनाया

हमारा यही अंदाज जमाने को खलता है, क्योंकि संगठन एकल महिलाओं पर हिंसा बर्दास्त नहीं करता है

महिला सशक्तिकरण दिवस पर चैतना रैली निकालते हुए एवं मिटिंग में चर्चा करते हुए सदस्य

एकल नारी शक्ति संगठन द्वारा जोशपूर्ण नारों व गीतों के साथ 1 जून, 2016 को महिला सशक्तिकरण दिवस मनाया गया। यह दिवस राजस्थान के 33 जिलों के 125 ब्लॉकों में धूमधाम से मनाया गया।

राजस्थान में इस दिवस को मनाने के लिए 5,750 सदस्यों ने जोश के साथ भाग लिया। राज्य के अलग-अलग जिलों व ब्लॉकों में एक ही दिन 1 जून को मनाये जाने वाला यह दिन महिलाओं के सशक्तिकरण व शक्ति का प्रतीक है। यह दिवस महिलाओं को अपनी शक्ति की पहचान करने व समाज को यह दिखाने के लिए मनाया जाता है कि महिलाऐं किसी से कमजोर नहीं है। इस दिन संगठन के सदस्यों, सामाजिक संगठन/संस्थाओं व शहर के उन गणमान्य नागरिकों ने जोश व उत्साह के साथ भाग लिया जो महिला सशक्तिरकण को बढ़ावा देने की सोच रखते है।

इस दिन बैठकों के माध्यम से एकल महिलाओं की समस्याओं पर चर्चा की गई जिसमे मुख्य रुप से विधवा पेंशन समय पर नही मिलना, महगांई के कारण पेंशन राशि बढाने, सभी गरीब एकल महिलाओ का नाम बी0पी0एल0 सूची मे नही होना, व परित्यकता पेंशन नियम मे बदलाव आदि समस्याऐ निकलकर आयी। जिस पर एक मांग पत्र तैयार किया गया और इसके पश्चात् चैतना रैली का आयोजन किया गया। रैली में महिलाओं ने नाचते गाते हुए एवं ''नारी शक्ति जिंदाबाद - जिन्दाबाद'' नारो व ढोल नगाड़ों से ब्लॉक स्तर व जिला स्तर पर अपने-अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि व प्रशासनिक अधिकारियों सोंपा गया।

कोटा में महिला सशक्तिकरण के दिवस पर स्वयं सेवी संस्थाओं/संगठन के व्यक्तियों व संगठन की सदस्याओं ने महिला शक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अपने-अपने विचार रखे। नगर निगम कोटा से उपमहापोर श्रीमती सुनिता व्यास द्वारा रैली को हरी झण्डी दिखाकर शुभारम्भ किया।

सभी ब्लॉकों में एकल महिलाओं ने छः मुख्य मांगों सहित अपनी क्षेत्रिय मांगों के साथ संबन्धित प्रशासनिक अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को मांग पत्र दिये गये।

-: समस्याऐं :-

1. बीपीएल सूची में सभी गरीब व विधवा एकल महिलाओं को जोड़ा जाये।
2. एकल महिला पेंशन राशि बढ़ाकर 50 वर्ष तक की महिला के लिए 1000 एवं इससे अधिक उम्र के लिए 2000 रूपये की जाये।
3. आवास योजनाओं में शहरी एकल महिलाओं को प्राथमिकता से आवास दिये जायें।
4. पी.डी.एस. में 5 किलो अनाज के स्थान पर 15 किलो अनाज दिया जाये।
5. ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली व पानी की समस्याओं के समाधान हेतु एवं तुरन्त प्रभाव से कार्यवाही की जाये।
6. डायन/डाकन कहने वालों के खिलाफ तुरन्त प्रभाव से मजबूत कानून बनाया जाये।
7. राजस्थान में शराबबंदी लागू की जाये।

-शेष पृष्ठ.1 का... राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम....

अपराधियों की मदद करने या सबूत छुपाकर रखने के आधार पर सामूहिक जुर्माना लगाया जायेगा।

2. पीड़ित महिला को राहत और पुनर्वास:-

▸ **तुरन्त राहत देना :-**

घटनास्थल की जांच के बाद शारीरिक चोट और संपत्ति को नुकसान के आंकलन के आधार पर सरकार पीड़िता और उसके परिवार को आर्थिक सहायता, खाना, कपड़े, रहने की जगह, मुफ्त चिकित्सा, यातायात के साधनों जैसी राहत देगी।

▸ **मुआवजा और पुनर्वास:-**

पीड़िता को मुआवजे का अधिकार है। मुआवजे के अतिरिक्त जुर्माने की रकम का साठ प्रतिशत हिस्सा और सामूहिक जुर्माने का हिस्सा मुआवजे और पुनर्वास के काम में इस्तेमाल होगा।

▸ **मॉडल एक्शन प्लान :-**

राजस्थान सरकार पीडितों के लिए एक मॉडल एक्शन प्लान बनायेगी जिससे पीड़ित और उसके परिवार सामाजिक सुरक्षा और कल्याण से जुड़ी योजनाओं का लाभ उठा सकें। इसके तहत खेतीहर या मकान के लिए जमीन आवंटन, विधवा और विकलांग पेंशन, बच्चों को सामाजिक सुरक्षा देना या पीड़ितों को जरूरत अनुसार स्वास्थ्य सेवाऐं, बिजली, पीने का पानी, शिक्षा आदि उपलब्ध करवायी जायेगी।

3. डायन प्रथा पर जागरूकता और रोकथाम :-

▸ **शांतिपूर्वक व्यवस्था बनाये रखने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी :-**

जहां डायन प्रथा प्रचलित है या अपराध घटने की आशंका है, उस क्षेत्र को अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध से ग्रसित क्षेत्र घोषित कर उसमें पुलिस द्वारा कानून और व्यवस्था की स्थिति का जायजा लेकर शांति बनाये रखने का प्रयास किया जायेगा।

▸ **अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता :-**

जिले में नियुक्त विशेष अधिकारी डायन प्रथा व झाड़-फूंक से जुड़े अंधविश्वास को तोड़ने और इस कानून का प्रचार करने के लिए स्वय सेवी संगठन (एन.जी.ओ.) की सहायता से अभियान चलाऐंगे। इस हेतु चेतना केन्द्र भी स्थापित किये जायेगे।

-शेष पृष्ठ-1 का... प्रतिनिधी मण्डल ने रखी...

तलाकशुदा महिलाओं की पुत्रीयों को भी यह लाभ मिले।

4. सभी गरीब एकल महिलाओं को खाद्य सुरक्षा कानून के तहत् प्रति व्यक्ति 15 किलो अनाज दिया जाये।
5. जो एकल महिलाऐ टैक्स भुगतान के दायरें में नही आती और 50 वर्ष तक की उम्र की है उन्हें 1000 रु व 55 साल की उम्र से अधिक की एकल महिला हेतु पेंशन की राशि 500 रू से बढ़ाकर 2500/ रू की जाये।
6. कृषि विभाग द्वारा पंचायत में कृषि मित्र ज्यादा से ज्यादा एकल महिलाओं को बनाया जाये।
7. किसान महिलाओं की पहचान स्थापित करनें हेतू सरकार द्वारा राज्य में मजबूत महिला कृषि निति बनाये।
8. जिन एकल महिलाओं के पति की मृत्यु हो जाती है और पति द्वारा किसी प्रकार का ऋण लिया हुआ हो तो उस ऋण की राशि बैंक/ सरकार द्वारा माफ की जाये।

सभी से मिलने के दौरान शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री व सचिव, ग्रामीण पंचायती राज मंत्री व सचिव, मुख्य सचिव, केबिनेट मंत्री ने संगठन के कार्य को सराहा एवं सभी के द्वारा अपने विभाग से संबन्धित समस्याओं को सुना और संतोषप्रद जवाब दिये व पूर्ण सहयोग की बात कही। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने श्रम विभाग की योजनाओं से जुड़ने पर जोर दिया एवं विधवा पुत्री विवाह योजना के बारे में कहा कि श्रम विभाग में 51,000 रूपये मिलते हैं महिलाऐं वहां से भी लाभ ले सकती हैं। केबिनेट मंत्री, पब्लिक हेल्थ इन्जिनियरिंग ग्राउण्ड वाटर किरण माहेश्वरी जी से प्रतिनिधियों की एक टीम मिली तब इन्होंने शौचालय निर्माण की मांग पर कहा कि अगर शौचालय बनने के बाद पेमेन्ट टाईम पर नहीं मिलता है तो बी.डी.ओ. या कलेक्टर साहब को बता सकते हैं। यदि कहीं पर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम सहयोग करेंगे। इस प्रकार सभी के द्वारा संतोषप्रद जवाब दिये और सहयोग की बात की गई।

भारत सरकार की ''राष्ट्रीय महिला नीति'' मसौदा 2016

राष्ट्रीय महिला नीति पर प्रस्तुतिकरण देते हुए

भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण व मुद्दों पर राष्ट्रीय महिला नीति 2016 का एक मसौदा तैयार किया है। यह एक बहुत अच्छी बात है।

इस नीति का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के लिए एक ऐसा सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक वातावरण तैयार करना है कि वे अपने मौलिक अधिकारों, विधिक एंव वास्तविक अधिकारों को समझे और उनका उपयोग कर सके। उनका चहुँमुखी विकास हो और वह गुणवत्तापूर्ण व सम्मानपूर्ण जीवन जी सके।

यह मसौदा भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मई, 2016 को वेबसाईट पर डाला गया व सभी सरकारी व गैर सरकारी संस्था/संगठनों व लोगों से इस नीति को और मजबूत बनाने हेतू सुझाव मांगे गये। इसी कडी में इस पॉलिसी का पूरा अध्ययन करके राष्ट्रीय एकल नारी अधिकार मंच एंव एक्शन एड के संयुक्त प्रयास से राष्ट्रीय महिला निति ड्राफ्ट पर चर्चा व सुझावों के लिए दिनांक 10-11 जून, 2016 को दिल्ली में दो दिवसीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में काफी महत्वपूर्ण चर्चा हुई जिसमें कई राज्यों के संस्था संगठन के 80 के लगभग प्रतिनिधियों ने भाग लिया व अपनी सहभागीदारी निभाते हुऐ राष्ट्रीय महिला नीति में जोडने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव बैठक में रखे। साथ ही राष्ट्रीय महिला नीति में एकल महिलाओं के बारे में भी चर्चा की गई जिसमें निकलकर आया कि पॉलिसी मे कुछ बातें एकल महिलाओं के लिए रखी गई है। परन्तु एकल महिलाओं के सवालों समस्याओं को अध्ययन कर शामिल नही किया गया और बैठक में सभी के सुझावों के आधार पर निकलकर आया कि एकल महिलाओं के लिए पॉलिसी में या तो अलग से स्थान (सेपरेट सेक्शन) की आवश्यकता है या एकल महिलाओं के लिए ''एकल महिला'' सेक्शन आना चाहिए।

साथ ही एकल महिलाओं के अधिकार व उनको परिभाषित करने के सुझाव इसी बैठक में निकलकर आये। जो कि महिला एंव बाल विकास मंत्रालय को भेजे गये। इसी बैठक में राष्ट्रीय एकल नारी अधिकार मंच से अध्यक्ष निर्मल चन्देल, डा0 जीनी श्रीवास्तव, राजस्थान से एकल नारी शक्ति संगठन से चन्द्रकला शर्मा ने भाग लिया।

एकल नारी शक्ति संगठन से जुड़कर मैं इतनी मजबूत हुई हूँ-निर्मला

निर्मला देवी एकल नारी शक्ति संगठन की ब्लॉक कमेटी सदस्य है। ये सुरसागर, पंचायत मण्डोर, जिला जोधपुर की रहने वाली एकल महिला है क्यों कि इसका पति एक पैर से विकलांग है। ये लगभग तीन वर्ष पूर्व संगठन से जुड़ी थी उससे कुछ समय पहले से ही उसके पति ने उसे घर से बाहर निकाल रखा था। कुछ महीने पहले निर्मला ने संगठन की हर माह होने वाली मिटिंग में बताया कि मुझे जानकारी मिली है कि मेरी ननद मेरे पति की जमीन पर कब्जा करना चाहती है और इसलिए उसने हमारी जमीन के कागजाद मेरे पति से ले लिये हैं। मैं संगठन से जुड़ी हुई हूँ इसलिए मैं ये सब सहन नहीं कर सकती। आप सब संगठन की सदस्य मेरी मदद करो। तब सदस्यों और संगठन की टीम लीडर कृष्णा जी ने गांव में जाकर समझाईश करने का निर्णय लिया। फिर कुछ कमेटी सदस्य व कृष्णा जी निर्मला के गांव में गये। वहां निर्मला का पति नहीं मिला। तब सदस्य वापस लोट आये फिर कुछ समय बाद फिर से ये सदस्य निर्मला के गांव गये।

यहां निर्मला के पति को सदस्यों व कृष्णा जी ने समझाया और निर्मला को अपनाने की बात रखी। संगठन की शक्ति के बारे में उसे बताया गया। काफी समझाने पर वह निर्मला को वापस बुलाने को राजी हो गया। फिर निर्मला को उसके पति के पास भेज दिया गया। लगभग छः माह तक दौनो साथ रहे, कुछ समय बाद निर्मला गर्भवती हो गई। अब खर्चा बढ़ने के कारण आये दिन घर में लड़ाई झगड़ा होने लगा। उसका पति फिर उसे वापस पीहर चले जाने की बात कहने लगा। तब निर्मला ने उसके पति से कहा कि पहले भी तुमने मुझे निकाल दिया था लेकिन संगठन की शक्ति के सामने तुम्हे झुकना पड़ा था। अब ऐसी गलती दुबारा मत करना।

लेकिन वो नहीं माना और आये दिन निर्मला को घर से निकल जाने की धमकी देने लगा। तब निर्मला ने ठान लिया कि अब वो संगठन की शक्ति से इस समस्या को सुलझायेगी। फिर एक दिन उसने मिटिंग में आकर यह बात संगठन की सदस्यों को बताई और कहा कि आप सब मेरे साथ चलो और मेरी मदद करो। संगठन के कुछ सदस्य उसके साथ घर पर गये और उसके पति से कहा कि यदि तुम इसी तरह से निर्मला को परेशान करते रहोगे तो हम तुम्हारे उपर घरेलू हिंसा का केस कर देंगे। तुम्हे जेल भी हो सकती है। इसलिए हमारी बात मानों और प्रेम से मिलकर रहो। अबकी बार वो माफी मांगने लगा और सदस्यों ने कहा कि अब मैं कभी इसको परेशान नहीं करूंगा। इसके बाद निर्मला ने अपनी ननद को वहां बुलवाया और सदस्यों के सामने ही उससे जमीन के कागजात मांगे। तब ननद ने उसे मेरी जमीन के कागज दे दिये। अब निर्मला अपने परिवार में खुशी से रह रही है। उसने संगठन की सदस्यों को बताया कि उसे परिवार में कोई परेशानी नहीं है।

उसका पति अब मजदूरी करने हेतु जाने लगा है और वो पड़ोस में कपड़े की दुकान पर कार्य करती है। उसने अपने बच्चों को प्राईवेट स्कूल में दाखिला दिलाया। अब वो अपने बच्चों व पति के साथ आराम से रह रही है। वो कहती है कि संगठन में बहुत शक्ति है बहनों, संगठन से जुड़कर ही मैं इतनी मजबूत हुई हूँ कि आवाज उठा सकी और अपनी परेशानी से छुटकारा पा सकी।

इसलिए जरूरत है, मजबूत जवाबदेही कानून की

राज्य में जिस प्रकार अंधाधुंध तरीके से गरीब लोगों की पेंशन रोकी गई, चाहे वे जिंदा है तब भी उनको मरा हुआ बता दिया गया है। इसी प्रकार अन्य कारण लिख दिया गया है जिसका अभी तक कोई अता-पता नहीं है कि पेंशन रोके जाने का कारण क्या है।

बुजुर्ग, विधवा व विकलांग पेंशन के लिए दफ्तरों के चक्कर पर चक्कर लगा रहे हैं। उनको ना तो कोई जवाब मिल रहा है और ना ही पेंशन। इसलिए हम पिछले समय से एक जवाबदेही कानून की मांग कर रहे हैं। जिसमें कर्मचारियों और अधिकारियों का जॉब चार्ट बने और वे उसके अनुसार काम नहीं करे तो उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाना चाहिए।

अब प्रदेश में जनता चाहती है कि सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाब देही तय की जानी चाहिए। रिश्वत मांगने या भ्रष्टाचार के दोषी पाये जाने पर उन पर ठोस कार्यवाही और अगर वे अपना काम पूरा नहीं करें तो उन पर जुर्माना लगाये जाने का प्रावधान हो।

क्यूं डरूं मैं इस समाज से...

क्यूं डरूं मैं इस समाज से,
जिसने मेरे जीने की उमंग को मिटाया,
जिसने मेरी खुशियों को ठुकराया।
क्यूं डरूं मैं इस समाज से,
जिसने मेरे जीवन को नर्क बनाया।
क्यूं डरूं मैं इस समाज से,
जिसने मेरे हकों को दबाया।
क्यूं डरूं मैं इस समाज से,
जिसने मेरे जीने के तरीकों को बदलाया।
क्यूं डरूं मैं इस समाज से,
जिसने मेरी रंगीन दुनिया को...
बैरंग बनाया।
क्यूं डरूं मैं...
मैं डरती नहीं इस समाज अब, क्योंकि ...
मैंनें स्वयं अपनी खुशियों का दीप जलाया,
जीवन में रोशनी का दीप जला कर,
अपने जीवन का अंधेरा हटाया।
यह दुनिया मेरी है,
जिसमें जीने के लिए,
मैंने अपना फर्ज निभाया।
जब यह समाज मेरे से है,
जब इस समाज को मैंने ही बनाया है,
तो फिर....
क्यूं डरूं मैं इस समाज से।

एकल नारी शक्ति संगठन की सदस्य द्वारा बनाई गई एक चित्रकारी :-

- सोहन बाई, परोलिया जिला झालावाड़

सब बहना से कहनों है...एको करके रहनो है..

काश, संगठन के बारे में पहले जानती-पदमा

जो काम बरसों में न हो सका, वह 10 दिन में हो गया

मैं पदमा महावर पत्नि स्व0 कृष्ण कुमार महावर उम्र 28 वर्ष, निवासी- मौखापाडा पलायता हाउस, कोटा की निवासी हूँ। मैं एक विधवा महिला हूँ और मेरे दो छोटे बच्चे हैं जो कि 5 व 7 साल की उम्र के हैं। मेरे पति की मृत्यु को लगभग डेढ महिना हो चुका है और मेरे परिवार में मेरे जेठ का लडका जिसका नाम कुलदीप उर्फ गोलू है एवं मेरा ससुर है जिसका मानसिक संतुलन ठीक नही है, तीन ननदें है, तीनो ननदें विवाहिता है। मेरे ससुराल के मकान मे 18 कमरे हैं, जिसका किराया एवं ससुर की पेंशन सभी कुलदीप ही लेता है। जब मेरे पति जिन्दा थे तब से ही कुलदीप मुझ पर गलत नजर रखता था। यह हमेशा मुझ पर अपनी पत्नि बनने का दबाब बनाता रहा है और नही तो जान से मारने व घर से निकालने की धमकी देता रहा है। सभी मोहल्ले वाले भी इससे परेशान है और सब उसकी आदतें जानते हैं कि यह आपराधिक प्रवृति का लडका है। उसने दिनांक 19.06.2016 को रात को शराब पीकर पहले तो गाली गलोच की फिर सारी लाईट बन्द कर दी, फिर अन्दर से कुन्दियां बन्द कर दी और मेरे साथ छीना झपटी और जबरदस्ती करने लगा। मेरे बच्चे भी मेरे साथ अन्दर कमरे मे ही थे।

मैं और बच्चे जोर-जोर से चिल्लाये, तो किरायेदार मुझे बचाने के लिए आये। तब बच्चों ने कमरे की कुन्दियां खोली तो सब लोग अन्दर कमरे मे आ गये। ओर मुझे बचाया। मैंने पडौस मे जाकर शरण ली और कैथूनीपोल, कोटा के थाने मे जाकर रिर्पोट लिखवाई। थाने वाले पकडने भी आये लेकिन वो हाथ नही आया। और अब वह हमें चाकू लेकर ढूढ रहा था। मै और मेरे बच्चो की जान को व मेरी इज्जत को खतरा था। मैं और मेरे बच्चे बहुत डरे हुऐ थे। समझ नही आ रहा कि क्या करे।

तब मुझे हमारे आस पास की कुछ महिलाओं ने एकल नारी शक्ति संगठन के बारे में बताया उन्होंने कहा कि संगठन एकल, विधवा व परित्यकता महिलाओं के लिए बना है। तब मैं दिनांक 20.6.2016 को कुछ महिलाओं के साथ एकल नारी शक्ति संगठन, कोटा, ऑफिस में आई। यहां ऑफिस में मुझे संगठन की राज्य समन्वयक श्रीमती चन्द्रकला शर्मा मिली जिनको मैंने अपनी सारी आपबीती सुनाई और रोने लगी। तब उन्होंने कहा कि तुम सही जगह पर आ गई हो इसलिए रोने की कोई जरूरत नहीं है संगठन तुम्हारे साथ है। फिर मैंने उनको बताया कि कुलदीप की मदद मेरी दो ननदें मीना व निर्मला कर रही है। वे उससे मिलकर मुझे घर से निकालना चाहती है ताकी वो मेरे पति के हिस्से की संपत्ति पर अधिकार कर सकें। मेरी अनुपस्थिति में मेरी दोनों ननदें मेरे सारे जेवर, पति के दस्तावेज, जमीन जायदाद के कागजात व मेरे पहचान पत्र व अन्य जरूरी कागज सब ले गयी। कृपया आप मेरी मदद करो और मुझे कुलदीप से बचाओ। मैं गरीब परिवार की लडकी हूं। पीहर का भी कोई सहयोग नही है। मैं कहा जाऊंगी।

सारी समस्या सुनने के बाद संगठन सदस्य व चन्द्रकला जी मुझे उसी समय थाने लेकर गई और वहां पर थानेदार को मेरी समस्या के बारे में बताते हुए कहा कि जब यह महिला इतनी परेशान है तो क्यों नहीं आपने अभी तक कोई कार्यवाही की। इसकी जान को खतरा है। मैं आई.जी. साहब से बात करूंगी।

इसके बाद चन्द्रकला जी मुझे आई.जी. ऑफिस लेकर गई और वहां मेरे बारे में बताया और पुलिस के रवैये के बारे में भी बताया। फिर क्या था, आई.जी. ऑफिस से तुरन्त कार्यवाही होने से थाने की पुलिस हरकत में आ गई। दिनांक 20.6.2016 को पुलिस ने आई.जी . के निर्देशानुसार परिवाद दर्ज दिया। उसी बीच में जेठ के लड़के ने मुझे बहुत परेशान किया फिर संगठन सदस्यों द्वारा पुलिस पर लगातार बहुत दबाव बनाया। उसके बाद 30.6.2016 को मुकदमा दर्ज किया गया, मेरे के 164 के बयान हुए। इसके बाद से ही जेठ का लड़का फरार हो गया।

पुलिस ने कार्यवाही कर मुझे मेरा बच्चा दिलवाया, घर में रहने व मकान किराया लेने का हक दिलवाया व मेरे सभी जरूरी दस्तावेज मेरी ननदों से वापस दिलवाये गये। पुलिस ने मुझसे कहा कि हम कुलदीप को ढूंढ रहे है वो जल्द ही मिल जायेगा। जैसे ही वो मिलेगा वो जेल जायेगा। अभी मैं अपने ससुराल में ही रह रही हूँ, अब मुझे किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। मैं अब बहुत खुश हूँ। मैं संगठन के बारे में पहले नहीं जानती थी कि इस तरह एकल बहनों का भी कोई संगठन है। अगर मुझे पता होता तो इतने अत्याचार और इतनी परेशानी शायद मैं नहीं सहती। मेरा बरसों का काम केवल 10 दिन में एकल नारी शक्ति संगठन के माध्यम से हो गया। मैं अब अन्य बहनों को भी एकल नारी

बहुत सहा है अब ना सहेंगी, अपने हक हम लेकर रहेंगी

संगठन की ओर से राज्य स्तरीय सदस्य बैठक आयोजित

बैठक में रिपोर्ट पढ़कर सुनाते हुए सदस्य

एकल नारी शक्ति संगठन की 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सदस्य बैठक इस बार दिनांक 26-27 मार्च 2016 को आस्था प्रशिक्षण केन्द्र, बेदला, उदयपुर में आयोजित की गई। बैठक में 29 जिलों से 77 राज्य स्तरीय कमेटी सदस्यों ने भाग लिया। संगठन की ओर से राज्य स्तरीय सदस्य बैठक वर्ष में तीन बार आयोजित की जाती है। इस बैठक में 4 माह के कार्यो, विशेष केस, सदस्य व बिल्ला संख्या, ब्लॉक स्तर पर खातों एवं राशि के विवरण के बारे में बताया जाता है। राज्य स्तरीय सदस्य बैठक विभिन्न जिलों से चुने गये राज्य स्तरीय सदस्यों द्वारा पिछले 4 माह में किये गये कार्यो से अवगत करवाने के लिए जिसमें संगठन सदस्यों को संगठन की ओर से दिलवाये गये सरकारी योजनाओं के लाभ की जानकारी देने, आगामी कार्य आयोजना तैयार करने के बारे में, नये नीति नियम बनाने व नये नियम लागू करने के बारे में तथा विशेष कार्यक्रम व प्रशिक्षणों के अनुभव यहां सुने गये। इस बार की राज्य स्तरीय बैठक का संचालन अध्यक्ष कंकू बाई द्वारा किया गया। बैठक का शुभारंभ जोशभरे गीत व नारों के साथ किया गया जिसमें बहनों ने ''बहुत सहा है अब ना सहेगी, अपने अधिकार हम लेकर रहेगी।'' व ''हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी है।'' जैसे जोशभरे नारे लगाये एवं ''चार बजा की उठी मैं तो... गीत गाया। इसके पश्चात् सदस्यों का स्वागत सावित्री देवी द्वारा किया गया। बैठक में आये सदस्यों द्वारा अपना-अपना परिचय दिया फिर सभी ने बारी-बारी अपने-अपने जिले की जिला स्तरीय रिपोर्ट प्रस्तुत की। सदस्यों ने जिले में किये गये कार्यो एवं नये सदस्य बनाने व बिल्ला वितरण एवं विशेष केसों के बारे में बताया। जिसमें मुख्य रूप से निकल कर आया कि राजस्थान के 33 जिलों में इस बार 1252 नये सदस्य संगठन से जुड़े। अब संगठन में सदस्यों की संख्या 50,752 हो चुकी है।

बैठक में आन्ध्रप्रदेश में मकाम संस्था द्वारा आयोजित बैठक के बारे में व राष्ट्रीय एकल नारी अधिकार मंच सलाहकार समिति की दिनांक 16 से 18 फरवरी, 2016 को दिल्ली में हुई बैठक की के बारे में रिपोर्ट सुनाई गई। बैठक में 1 जून, 2016 को महिला सशक्तिकरण दिवस धूमधाम से मनाये जाने के लिए जिला स्तर व ब्लॉक स्तर पर की जाने वाली तैयारीयों के बारे में सदस्यों को बताया व आयोजना तैयार की गई।

साथ ही एकल महिलाओं के आवास की स्थिति के बारे में जानने के लिए आवास योजना के बारे में चर्चा की गई जिसमें बताया गया कि गरीब एकल महिलाओं को आवास की सुविधा हो इसलिए आवास सर्वे किया जायेगा एवं आंकड़े तैयार किये जायेंगे। इसके आधार पर एकल महिलाऐं आवास योजना का लाभ ले सकेंगी। बैठक में स्थानीय स्तर पर चंदा एकत्र करने के बारे में चर्चा की गई जिसमें बताया गया कि इस बार चंदे के लिए सदस्यों द्वारा काफी सराहनीय प्रयास किया गया है, आगे भी इसी आत्मविश्वास के साथ चंदा एकत्र करना है। बैठक का समापन जोशभरे गीत व नारों के साथ किया गया एवं अगली राज्य स्तरीय सदस्य बैठक 23 से 24 जुलाई, 2016 को आस्था प्रशिक्षण केन्द्र, बेदला, उदयपुर में आयोजित करना तय किया गया।

कृपया ध्यान दें :

बहनों, जैसा की आप जानते हैं कि एकल नारी शक्ति संगठन राजस्थान में हजारों एकल महिलाओं का विशाल संगठन है और इसका क्षेत्र भी पूरा राजस्थान है। यदि आपको संगठन के प्रति या संगठन कार्यकताओं से किसी भी प्रकार की शिकायत है तो आप नीचे लिखे टेलीफोन नम्बरों पर फोन करके बता सकते हैं। आपकी शिकायत को सुना जायेगा और शिकायत के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी।

: संपर्क नम्बर :

0744-2450726 (कोटा कार्यालय)

0294-2451348 (उदयपुर कार्यालय)

आपके सुझाव आमंत्रित हैं

एकल नारी की आवाज आपका अपना अखबार है। इसमें प्रकाशित हर सामग्री पर आप अपनी राय से हमें अवगत करा सकते हैं। भविष्य में एकल नारी की आवाज को आप किस रूप में देखना चाहते हैं तथा किन मुद्दों व विषयों पर अधिक ध्यान दिये जाने की जरूरत है, इन सभी पहलूओं पर हमारा ध्यान दिला सकते हैं। एकल नारी की आवाज के लिए आपकी ओर से भेजे जाने वाले आपके सुझाव आमंत्रित हैं।

एकल नारी शक्ति संगठन के सदस्यों की संख्या

क्र.सं.	जिला	ब्लॉक	सदस्य
1.	अजमेर	9	4467
2.	राजसमंद	4	2143
3.	सिरोही	1	968
4.	डूंगरपुर	5	1432
5.	बांसवाड़ा	5	907
6.	उदयपुर	8	3767
7.	भीलवाड़ा	6	2755
8.	जोधपुर	5	1301
9.	नागौर	3	2260
10.	जालोर	2	1005
11.	पाली	4	1863
12.	चित्तौड़गढ़	5	1043
13.	टोंक	5	1366
14.	बारां	5	2854
15.	बूंदी	4	1485
16.	अलवर	3	1156
17.	सवाईमाधोपुर	5	1641
18.	जयपुर	3	1568
19.	कोटा	5	2608
20.	दौसा	4	1375
21.	बाड़मेर	4	961
22.	सीकर	3	1029
23.	चुरू	2	2173
24.	झालावाड़	5	3272
25.	जैसलमेर	1	1357
26.	करौली	3	891
27.	प्रतापगढ़	4	894
28.	भरतपुर	3	845
29.	बीकानेर	1	270
30	हनुमानगढ़	2	407
31	झुंझनू	2	226
32	धोलपुर	2	303
33.	गंगानगर	2	160
	कुल योग	125	50,752

यदि कोई एकल महिला, एकल नारी शक्ति संगठन के बारे में कोई जानकारी चाहती है या सदस्य बनना चाहती है, अथवा अपने क्षेत्र को संगठन से जोड़ना चाहती है तो वह निम्न पते पर सम्पर्क करें -

एकल नारी शक्ति संगठन

- : पता : -

39, खारोल कोलोनी, उदयपुर-313004 (राज.)

फोन :0294-2451348 फैक्स :0294-2451391

3-पीपल्दा हाऊस, सिविल लाईन, कोटा -324008

फोन : 0744-2450726 फैक्स : 0744-2329536

ईमेल : astha39@gmail.com

ईमेल : ensskota@gmail.com

ईमेल : enssrajasthan@gmail.com

Website: www.strongwomenalone.org

सेवा में, बुक पोस्ट

श्रीमान/श्रीमती .....

पता .....

.....

..... पिन कोड .....